5

Infrastructure Strengthening

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020-21

कार्यक्रम का नाम: Health and Wellness Centre

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक-2 के आधार पर): Infrastructure Strengthening of SC to H&WC

नया बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 5.1.1.2.8
पुराना बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): 5.1.1.2.h
कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार कर आम जनता को उनके घर के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य संस्थानों की संरचना में प्रथम सम्पर्क के रूप में कार्यरत Health Sub Centres, Additional Primary Health Centres एवं Urban Primary Health Centres को Health & Wellness Centres के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर में निम्नांकित बारह प्रकार की व्यापक प्रारंभिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जानी है:-

1- गर्भावस्था एवं प्रजनन सेवाएँ
2- नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य सामान्य देखभाल सेवाएँ
3- बल्यावस्था एवं किशोर स्वास्थ्य सामान्य देखभाल
4- परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक एवं सामान्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएँ
5- राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुसार संचारी रोगों का प्रबंधन
6- बीमारियों का Outpatient माध्यम से सामान्य प्रबन्धन
7- गैर संचारी रोगों की Screening एवं सामान्य प्रबन्धन तथा जीर्ण संचारी रोग यथा क्षय रोग एवं कुष्ट रोग का सामान्य प्रबन्धन
8- नेत्र एवं ई0एन0टी0 से संबंधित सामान्य स्वास्थ्य सेवाएँ
9- दन्त देखभाल से संबंधित सामान्य सेवाएँ
10- वृद्धावस्था - Palliative स्वास्थ्य सामान्य देखभाल सेवाएँ
11- सामान्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवायें
12- मानसिक स्वास्थ्य बीमारियों की Screening एवं सामान्य प्रबंधन

इकाई राशि (रू. सात लाख प्रति) : रू0 7,00,000/- **प्रति** Health and Wellness Centres (HWCs)

वित्तीय दिशा निर्देश : Health & Wellness Centres (HWCs) के रूप में विकसित किये जाने (UPHC के अतिरिक्त)हेतु कुल वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 2408 चयनित HSCs को सभी आवश्यक आधारभूत संरचना एवं अन्य विकास कार्य करने हेतु प्रति HSCs रू0 7,00,000/- उपलब्ध कराई जा रही है।

B.Sinha

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

इस राशि से निम्नलिखित कार्यों को ससमय सम्पादित कराया जाना है-

i. आवश्यकतानुसार भवन, खिड़की/दरवाजों की मरम्मति/रैम्प का निर्माण/आवश्यक फर्नीचर का क्रय एवं पुरुष एवं महिला रोगियों के लिये अलग-अलग शौचालय (Washroom) की व्यवस्था तथा Branding कराया जाना है।

ii. ब्रांडिंग पुस्तिका, जिसकी सॉफ्ट प्रति ई-मेल के द्वारा एक हार्ड कॉपी सभी को उपलब्ध करा दिया गया है, के अनुरूप HWCs के भवन का रंग रोगन एवं पेंटिंग इत्यादि का कार्य किया जाना है।

iii. आवश्यकतानुसार सभी चिन्हित HSCs पर Operational Guidelines के अनुसार उपकरणों का क्रय किया जा सकता है।

iv. मरीजों के Waiting Area में बैठने की व्यवस्था, प्रतिक्षालय, पेयजल की व्यवस्था एवं NCD से संबंधित पोस्टरों का संस्थापन, Citizen's Charter जिसका प्रारूप आपको उपलब्ध कराया जा रहा है।

v. दवाओं एवं अन्य सामग्रियों को रखने हेतु उचित जगह की व्यवस्था।

vi. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन (Bio Medical Waste Management) हेतु उपयुक्त स्थल पर Deep Burial Pit का निर्माण।

vii. स्वास्थ्य संस्थान में बिजली की व्यवस्था इत्यादि।

viii. OPD Registration हेतु फनमनम Management System की व्यवस्था करना, ताकि मरीजों को पंक्ति में खड़ा होकर परेशानियों का सामना न करना पड़े।

संदर्भित पत्र- राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यालय पत्रांक 8043 दिनांक 16.02.2019 एवं पत्रांक 6458 दिनांक 20.12.2018 एएवं पत्र संख्या 486 दिनांक 24.09.2020 का अवलोकन किया जाय।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : डॉ.ए.के. शाही/डॉ0 बप्पादित्या सिन्हा
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर: 8544402010/9470003088

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society Bihar Patna

BSinha.

क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश वित्तीय वर्ष : 2020-21

कार्यक्रम का नाम :- स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया एवं आकस्मिक मद।

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक-2 के आधार पर)– **Sub centre Rent and Contingencies**

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर)– **5.1.2.**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

वर्ष 2020-21 के PIP में 10 (दस) जिलों यथा-औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कटिहार, मुंगेर, नालन्दा, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा एवं शिवहर में मांग के आधार पर किराया का दर अधिकतम 600/-रुपये प्रतिमाह एवं 27 (सत्ताइस) जिलों यथा-अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली में मांग के आधार पर किराया का दर अधिकतम 500/-रुपये प्रतिमाह स्वीकृत किया गया है। कई जिलों में कुछ स्थानों पर 500/-रुपये से कम के किराया के भवन में भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत होंगे। विधिवत निर्धारित किराया का भुगतान संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा विहित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

इकाई राशि (रु० में) - प्रति प्रखण्ड इकाई राशि निम्नलिखित है :-

- 10 (दस) जिलों यथा- औरंगाबाद, भागलपुर, गया, कटिहार, मुंगेर, नालन्दा, पूर्णिया, सारण, शेखपुरा एवं शिवहर हेतु किराया का दर अधिकतम 600/- (छः सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र होगा।
- 27 (सत्ताइस) जिलों यथा- अररिया, अरवल, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमुर, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल एवं वैशाली हेतु किराया का दर अधिकतम 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र होगा।

वित्तीय दिशा-निर्देश -

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के किराये के भुगतान हेतु जिलावार आवंटित राशि से संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए राशि आवंटित की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी किराया भुगतान हेतु विपत्र तैयार कर उसे पारित कर मकान मालिक को विहित प्रक्रियानुसार भुगतान करेंगे एवं व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति को भेजेंगे। यदि किसी माह किसी स्वास्थ्य उपकेन्द्र का किराया की राशि का भुगतान राशि की उपलब्धता के बावजूद मकान मालिक को नहीं किया जाता है तो जिला स्वास्थ्य समिति संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से भुगतान नहीं किये जाने के कारणों को प्राप्त कर राज्य स्तर पर संसूचित करेंगे। अन्य कार्यक्रमों की भांति प्रत्येक माह के प्रारंभ में स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये का भुगतान विहित प्रक्रियानुसार किया जाना अनिवार्य है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 3422 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के किराये के लिए कुल 2,19,72,000/- (दो करोड़ उन्नीस लाख, बहत्तर हजार) राशि विमुक्त की जा रही है। अतः निदेश दिया जाता है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र किराये मद में नियमानुसार किराये का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में करना सुनिश्चित किया जाय।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम- श्री रविश किशोर, उप सचिव-सह-प्रभारी आधारभूत संरचना कोषांग, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर-9473197729

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश (2020-21)

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष : New AFHCs at Medical College/DH/CHC/PHC level

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या : 5.2.1.9

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोर–किशोरियों को चिकित्सीय एवं परामर्शी सेवा उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल एवं सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर युवा क्लिनिक की स्थापना की जानी है।

वितीय वर्ष 2020–21 में दो नये जिलो यथा दरभंगा एवं नवादा के चार–चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर युवा क्लिनिक की स्थापना की जानी है। युवा क्लिनिक के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था की जानी है। युवा क्लिनिक का संचालन प्रत्येक OPD कार्य दिवस में 9 बजे से 2 बजे तक करना है। नये युवा क्लिनिक की स्थापना हेतु फर्नीचर एवं उपकरण के लिये राशि उपलब्ध करायी जा रही है जो निम्नवत हैः–

- Furnitures – Table (1), Chairs (3), Curtains (Door and Window), Bedside Screen, Examination Table, Almirha, Step Stool, Chair for Waiting Hall, AFHC Board and Services Board etc.
- Equipments –Weighing Machine, Height Measurement Scale, Stethoscope, BP Machine, Thermometer, Snellen Chart and torch etc

इकाई राशि (रू० में) : 50,000/- रू० प्रति युवा क्लिनिक ।

Name of the District	Name of the PHC/CHC	@ Rs.50000/- per PHC
Darbhanga	Singhwara, Baheri, Hayaghat and Hanumannagar	200000.00
Nawada	Ragauli, Kawakol, Pakribarwa and Akbarpur	200000.00

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम : डॉ० परमेश्वर प्रसाद/डॉ० प्रमोद कुमार
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का मोबाईल नम्बर : 9470003139/8544402486

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

Annexure -3

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020–21

कार्यक्रम का नामः Comprehensive Abortion Care (CAC)

बजट/एफ0एम0आर0शीर्षः Strengthening CAC Model Training Centre/Site and establishing CAC service delivery sites

बजट क्रम संख्या/एफ0एम0आर0संख्याः 5.2.1.14

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :

विगत वर्षों में सुरक्षित गर्भपात कार्यक्रम अन्तर्गत Comprehensive Abortion Care (CAC) से संबंधित प्रशिक्षण राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित किए जाते रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और सुदृढ़ करने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के चयनित संस्थान DMCH, दरभंगा तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (ANMMCH) में CAC Model Training Centre क्रियान्वित हो चुका है।

ईकाई राशि (रू0 लाख में)

1. 2.50 Lakh for Maintenance of existing CAC Model Training Centre/ Site at DMCH Darbhanga and ANMMCH, Gaya each medical college.
2. 2.50 Lakh each for establishing CAC service delivery site at District Hospital- Gopalganj, Madhubani, Munger and Saran.

वित्तीय दिशा निर्देश :–

CAC Model Training Centre/ Site and establishing CAC service delivery sites को विकसित करने हेतु निम्नांकित कार्यों को सम्पन्न किया जाना है–

1. ढांचागत आवश्यकताएँ सुदृढ़ीकरण।
2. फर्निचर एवं उपकरण का आवश्यकता के अनुसार क्रय।
3. सुरक्षित गर्भपात प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित अन्यान्य।

Indicative budget for strengthening as CAC Model training centre/ site	
Item/Activity	Approximate Cost (in INR)
A. Strengthening of Infrastructure	Rs. 2,50,000/- each (two lakh Fifty thousand for ANMMCH Gaya and DMCH Darbhanga)
Contraceptive corner in counseling room and recovery room/Civil work/ furniture/ electrical work for setting up/ modifying OPD, Procedure room as well as a training room.	
B. CAC equipment and supplies	
MVA equipment (aspirator and cannulae) -5 sets	
Adequate equipment and supplies for procedure	
Adequate Infection prevention equipment and supplies	
C. Training Material	
LCD Projector	

सरिता
Dr. SARITA
State Programmer Officer
State Health Society
Bihar, Patna

उपरोक्त तालिका के अनुसार CAC Model Training Centre/Site को विकसित करना प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, DMCH एवं ANMMCH के देख रेख में किया जाना है। इस कार्य को संशोधित बिहार वित्तीय नियमावली 2016 एवं अन्य संशोधित वित्तीय दिशा–निर्देश के नियमों के अनुकूल विकसित किया जाना है। इस कार्य में Ipas संस्थान का सहयोग लिया जा सकता है।

DMCH Darbhanga एवं ANMMCH, Gaya में वित्तीय वर्ष 2017–18 में अधिष्ठापित CAC Model Training Centre/ Site के रख–रखाव हेतु प्रति इकाई दो लाख पचास हजार लाख रू0 की राशि आवंटित की जा रही है।

सुरक्षित गर्भपात केंद्र

राज्य के 4 सदर अस्पताल (सारण, गोपालगंज, मधुबनी एवं मुंगेर) में सुरक्षित गर्भपात केंद्र की स्थापना करने हेतु Rs.250000 प्रति केंद्र की राशि आवंटित की जा रही है।

इन अस्पताल में सुरक्षित गर्भपात केंद्र स्थापित करने हेतु निम्न कार्य किये जा सकते है

a. Separate OT for safe abortion services. (labour table, OT light, instruments for CAC procedures)
b. IEC material display on Comprehensive Abortion Care (CAC).
c. Establishing family planning corner.
d. Procurement of Infection prevention equipment and supplies

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी नाम – डॉ० सरिता, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी का फोन नं० : 9470003004

सरिता
Dr. SARITA
State Programmer Officer
State Health Society
Bihar, Patna

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश 2020-21

कार्यक्रम का नामः– आशा

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर):– ASHA Ghar

नया बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): 5.3.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणः स्वास्थ्य संस्थानों पर आयोजित विभिन्न बैठकों, निजी कार्य, लाभार्थी के साथ प्रसव एवं अन्य कार्यों हेतु आशा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दिन एवं रात में जाती है। उनके विश्राम एवं रात्रि में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में पूर्व से आशा घर निर्मित हैं, जिसका नवीनीकरण/रखरखाव वित्तीय वर्ष 2020–21 में करवाया जाना है।

इकाई राशि (रू० में):– @ 50,000/- (पचास हजार) रूपये प्रति जिला

वित्तीय दिशा निदेश :– पूर्व से Functional आशा घर के नवीनीकरण/रखरखाव करवाने हेतु @ 50,000/- (पचास हजार) रूपया की दर से प्रति जिला राशि आवंटित की जा रही है। जिला द्वारा आवश्यतानुसार उक्त राशि का व्यय Functional आशा घर के नवीनीकरण/रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण किया जाना है।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/टीम लीडर, आशा कार्यक्रम का नामः
डॉ0 वाई0 एन0 पाठक/प्रणय कुमार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/टीम लीडर, आशा कार्यक्रम का फोन नंबर :
9470003829/94710099

YPathak

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी
आशा संसाधन केन्द्र

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2020–21

कार्यक्रम का नाम :रक्त अधिकोष

बजट / एफ.एम.आर. शीर्ष(ROP के आधारपर) : 5.3.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:
Drug & Cosmetic Act के तहत् रक्त अधिकोष में कम से कम 100 वर्गमीटर तथा Blood Component Separation Unit के लिए 150 वर्ग मीटर स्थान अनिवार्य है। रक्त अधिकोष के लिए कम से कम सात कमरे (Medical Examination room, Blood collection room, Donor refreshment room, Serology Lab, TTI Lab, Store room, Sterilization & washing room तथा BCSU के लिए अतिरिक्त 3 कमरे (Component Preparation room, Component Storage room & Quality Control Room) होनी चाहिए। राज्य के सभी रक्त अधिकोषों में वांछित जगह 100 वर्ग मीटर उपलब्ध नहीं है। साथ ही वर्तमान में सभी रक्त अधिकोषों के भवन की स्थिति ठीक नहीं है और उनकी मरम्मत तथा वायरिंग, अर्थिंग, प्लम्बरिंग संबंधी कार्य किये जाने की आवश्यकता है। रक्त अधिकोष में आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है।

इकाई राशि (रू.में) : 9,50,000/–प्रति रक्त अधिकोष।

वित्तीय दिशा निर्देश: रक्त अधिकोष के भवन को Drug & Cosmetic Act के तहत् विकसित (जीर्णोद्धार) किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल 27 चयनित रक्त अधिकोषों को सभी आवश्यक आधारभूत संरचना एवं अन्य विकास कार्य हेतु प्रति रक्त अधिकोष रू. 9,50,000/–उपलब्ध करायी जा रही है। इस राशि से निम्नलिखित कार्य को ससमय सम्पादित कराया जाना है ताकि रक्त अधिकोष के अनुज्ञप्ति का नवीकरण करायी जा सके।

1. 100 वर्ग मीटर के लिए रक्त अधिकोष का अतिरिक्त विस्तार।
2. रक्त अधिकोष के भवन का रंग रोगन।
3. रक्त अधिकोष के भवन, खिड़की, दरवाजे इत्यादि की मरम्मती।
4. रक्त अधिकोष के वायरिंग, अर्थिंग, प्लम्बरिंग संबंधी कार्य।
5. आवश्यक फर्नीचर का क्रय ।
6. बायो मेडिकल waste management की व्यवस्था।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं0 तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(1)

(2)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम : डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9431017237

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु वित्तीय दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष–2020-21

कार्यक्रम का नाम: NTEP

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (ROP के आधार पर): Civil Work
नया बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (ROP के आधार पर): 5.3.14

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरणी –

- राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य यक्ष्मा केन्द्र, टी०बी०डी०सी०, पटना / दरभंगा, सभी जिलों में जिला यक्ष्मा केन्द्र, 6 नोडल डी०आर० टीबी सेन्टर (टी०बी०डी०सी०, पटना/आई०जी०आई०एम०एस०, पटना दरभंगा/भागलपुर/गया/मुजफ्फरपुर), 534 टीबी यूनिट, 736 चिहिन्त बलगम जाँच केन्द्र, 70 CBNAAT साईट सभी जिलों में कम से कम दो बेड का डिस्ट्रीक डी०आर० टीबी सेन्टर, एवं राज्य में संभावित MDR यक्ष्मा मरीजों का जॉच हेतु टी०बी०डी०सी०, पटना में आई०आर०एल०, भागलपुर एवं दरभंगा में C & DST Lab स्थापित है के मरम्मति हेतु राशि इस मद में प्रावधानित है ।
- आधारभूत संरचना के उपलब्धता के आधार पर नारायण मेडिकल कॉलेज, जमुआर (रोहतास) एवं आई०जी०आई०एम०एस०, पटना में LPA Lab, टी०बी०डी०सी०, दरभंगा में अतिरिक्त राज्य दवा भण्डार, पूर्वी चम्पारण के जिला यक्ष्मा केन्द्र, 10 टीबी यूनिट एवं 20 डी०एम०सी० के जिर्णोद्वार हेतु अनुमोदन दी गयी है साथ ही भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रेषित 37 Truenat Machine एवं 28 Digital X-Ray Machine with CR System को जिलों में चिहिन्त केन्द्रों पर स्थापित किया जाना है, जिस पर होने व्यय इस मद से की जायेगी ।

इकाई राशि (रू० में) :– 1,55,18,000/– (एक करोड़ पच्चपन लाख अठारह हजार रूपये मात्र)

वित्तीय दिशा–निर्देश :–

- सिविल वर्क शीर्ष के अन्तर्गत अनुमोदित राशि से स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध स्थान / कमरों की केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप **आवश्यकतानुसार** फर्श, दिवालों, खिडकियों, दरवाजों, पानी की नल, सिंक, नालां का मरम्मती एवं बिजली तार, बिजली अर्थिंग, पंखें, ए०सी० आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी । शीर्ष से आवश्यक उपस्कर यथा टेबुल, कुर्सी, अलमीरा, रैक आदि की मरम्मती अथवा क्रय भी की जाएगी ।
- डी०टी०सी०, टीबी० यूनिट, डी०एम०सी० के रख–रखाव हेतु समेकित (Pooled) राशि का उपयोग जिला स्वास्थ्य समिति पूर्व से कार्यरत टी०बी० यूनिट, डी०एम०सी० अथवा नये स्थाप्य CBNNAT/ Truenat Machine/ X-Ray Machine with CR System की आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यय कर सकती है । सामाग्रियों, उपस्करों का क्रय करते समय बिहार सरकार द्वारा निर्गत संशोधित वित्तीय नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) का पालन के साथ–साथ गुणवत्ता तथा पारदर्शिता को भी ध्यान में रखा जाय ।
- यदि पी०एच०सी०/प्रखंड स्तर पर कनीय अभियंता उपलब्ध हो तो उनसे प्राक्कलन बनाकर उस आधार पर Job Work के अनुसार कार्य सुनिश्चित की जाए । टी०यू०/ डी०एम०सी० पर अधारभूत संरचना संबंधी निमार्ण कार्य एक लाख रूपये के अन्तर्गत किया जाना है, इसलिए यह कार्य संशोधित बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2016 के नियम–131(ग)/नियम–131(घ) में निहित प्रावधानों के तहत तीन कोटेशन प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है ।
- विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु केन्द्रीय यक्ष्मा प्रभाग, स्वास्थ्य महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त अद्यतन वित्तीय निदेश (Norms and Basic of Costing for RNTCP under NSP (2012-17) देखा जाय ।

संलग्नः–

- Norms and Basic of costing for RNTCP under NSP (2017-25)
- Financial Management Mannual for State and District Societies

उक्त निर्देशिका www.tbcindia.org पर देखा जा सकता है।

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का नाम :– डा० (मेजर) के० एन० सहाय
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर :–0612- 2636383/ 9473197731

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष (2020-21)

कार्यक्रम का नामः राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Infrastructure for District DMHP centre, Setting up the centre, furniture,computer facilities, telephone etc.

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): 5.3.15

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला के सदर अस्पताल में मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार हेतु जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापित करना तथा इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय, ओ०पी० डी०, आई०पी०डी०, कौन्सेलिंग रूम, ग्रुप थेरेपी + योगा कक्ष, रेक्रेशनल रूम इत्यादि को व्यवस्थित करना है |

उपरोक्त सभी तरह की वयवस्था हेतु पूर्व में जिला के सिविल सर्जन को कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा उचित दिशा निर्देश भी भेजा जा चुका है |

इकाई राशि (रू० में) : Annexure-1 के आधार पर

वित्तीय दिशा निर्देशन:

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यालय अंतर्गत चयनोपरांत कार्यरत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी हेतु लैपटॉप, केस रजिस्ट्री असिस्टेंट हेतु डेस्कटॉप जिला स्तरीय कार्यालय में कुर्सी, टेबल, आलमीरा एवं अन्य सामग्री जो कार्यालय या केंद्र हेतु आवश्यक हो क्रय किया जा सकता है |

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) पत्र सं. 10180 तिथि 30/12/2013 (ख) पत्र सं. 5520 तिथि 25/08/2015 (ग) पत्र सं. 1750 तिथि 09/03/2016

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम
डॉ राजेश कुमार,

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर
940003157

SPO
MENTAL HEALTH, SHSB

(Avinash Kumar Pandey)
State Programme Manager
State Health Society, Bihar, Patna